(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

गोगचन्द बनाम कस्तुरी देवी

किस्म मुकदमाः—अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम नम्बरः 2023 / 363

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस एडमिशन पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार फागी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) के तहत नामान्तरकरण संख्या 4912 / 17.07.2023 पर पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जिसके विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से अपीलार्थी की अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता अपीलान्ट को वापस लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा के स्तर से पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	

31.8.2023 at 3 PM